न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 57 / 2020
सीसीएमएस : 2020 / 00136

1. कृष्णलाल उर्फ गब्बरसिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन ठण्डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
—: वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन ठण्डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।
3. हरआम खास

—:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. राजस्व. अधिनियम व प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी</u>

तारीख रजू 24.07.2020

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री दिनेश कुमार जोशी अधिवक्ता वादी।
2. श्री मनिन्द्र कुमार अधिक्क्ता प्रति सं. 1।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक :— 16.04.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है जिनके संयुक्त खाता में चक 21 / 23 एन.पी. पटवार हल्का भू.अ.नि. क्षेत्र ठण्डी तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 26 पं.नं. 184 / 323 के कि.नं. 18 / 1 में 0.0130 है, कि.नं. 19 / 1, 20 / 1 में 0.130 प्रत्येक कि.नं. 21 / 2 में .214 है. कि.नं. 22 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 8 बीघा में 1.265 है. नहरी कृषि भूमि कब्जा काश्त में है। इसी प्रकार वादी के नाम से वादी के उपनाम से चक 21 / 23 एनपी के मुरब्बा नं. 10 पं.सं. 185 / 321 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक सालम नहरी व कि.नं. 6 में 0.228 है. नहरी कुल 1.493 है. नहरी कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के पास इसी मुरब्बा नं. 10 के कि.नं. 7 ता 10 प्रत्येक 0.228 है. नहरी व कि.नं. 11 में 0.126 है. व कि.नं. 12 में 0.127 है., कि.नं. 13 में 0.126 है. कि.नं. 14 में 0.127 है. कि.नं. 15 में 0.126 है. नहरी इस प्रकार कुल 1.544 है. नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। मद संख्या 2 में वर्णित मुरब्बा नं. 26 की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा दिनांक 15.05.2002 जरिये बैयनामा क्रय की गई थी व मुरब्बा नं. 10 में वर्णित वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 16.05.2008 क्रय की गई थी। वरवक्त उपरोक्त दोनों कृषि भूमियां वादी के तत्कालीन गब्बरसिंह पुत्र रामप्रताप के नाम से क्रय की गई थी वरवक्त क्रय उपरोक्त भूमि वादी का मूल निवासी प्रमाण पत्र गब्बरसिंह पुत्र रामप्रताप के नाम से वादी के परिवारजन [illegible] वर्ष 1997 में बना दिया गया था व तदअनरूप इसी नाम से उपरोक्त वर्णित भूमि क्र[illegible] वादी का ही नाम कृष्णलाल व गब्बरसिंह है वादी [illegible] वादी के अशिक्षित माता—पिता द्वारा दस्तावेज[illegible]सिंह के [illegible] दर्ज अशिक्षा एवं अज्ञानता के आधार पर दर्ज क[illegible] वादी एवं वादी के परिवार जिसमें उसके [illegible] / [illegible] दोनों के समक्ष परिहास का पर्याय बन गया जिससें वादी व उसके परिवार को समय समय पर उपहास / अपमान / तृस्कार का पात्र बनना पड़ा जिससे वादी व

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

उसके परिवार को मानसिक हानि एवं क्षति हुई एवं वर्तमान में भी वादी एवं उसके परिवार को मानसिक हानि एवं क्षति हुई एवं वर्तमान में भी वाद एवं उसके परिवार को इसका सामना करना पड रहा हैं। विगत 5–6 माह पूर्व वादी के परिहास/ अपमानजनक नाम के कारण वादी के बच्चों को अनावयक ही उपहास/ कठिनाई /लड़ाई/झगड़े का सामना करना पडा लोकडाउन खुलने के पश्चात दिनांक 06.06.2020 पडोस में भी प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को इस कारण झगड़े एवं कठिनाईयों का सामना करना पडा यही कारण बिनाये दावा है उपरोक्त के संदर्भ में प्रतिवादीगण का मौखिक इन्कार भी मुखारस्मत दावा है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में उचित कोर्ट फीस पर श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अतः वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी फैसल एवं डिक्री फरमाया जावे कि वाके चक 21/23 एनपी के मुरब्बा नं. 26 पं.सं. 181/323 के कि.नं. 18/1 में 0.0130 है., कि.नं. 19/1, 20/1 में 0.130 प्रत्येक कि.नं. 21/2 में .214 है., कि.नं. 22 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 8 किता में कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि संयुक्त खाता में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि एवं इसी चक के मुरब्बा नं. 10 पं.सं. 185/321 में वादी के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक सालम नहरी व कि.नं. 6 में 0.228 है. नहरी कुल 1.493 है. नहरी कृषि भूमि की जमाबंदियों में वादी के नाम गब्बरसिंह पुत्र रामप्रताप की जगह वादी का नाम कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनिन्द्र कुमार ने वकालतनामा मय जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में उल्लेखित वादी कृष्णलाल उर्फ गब्बरसिंह का नाम चक 21/23 एनपी में वर्णित वादी की भूमि के संदर्भ में राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गब्बरसिंह पुत्र रामप्रताप की जगह यदि श्रीमान् न्यायालय के आदेश द्वारा कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप राजस्व रिकार्ड में किया जाता है तो इससें प्रार्थी को कोई उजर एतराज नहीं है और ना ही भविष्य में होगा। सरकार की तरफ से नायब तहसीलदार मुकलावा ने जवाब दावा दिनांक 02.03.2021 को पेश किया गया।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रकरण में जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर ने रिपोर्ट क्रमांकः भू.अ./21/1941 दिनांक 27.10.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 21/23 एनपी के खाता सं. 11 के पं.नं. 185/321 में 1.493 है. नहरी रकबा गब्बरसिंह वल्द रामप्रताप कौम जाट साकिन ठण्डी के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त भूमि नामा. सं. 181 दिनांक 24.07.2008 बैयनामा द्वारा गब्बरसिंह वल्द रामप्रताप जाति जाट साकिन ठण्डी खातेदार दर्ज हुआ। व इसी चक के खाता सं. 12 के मु.नं. 26 पं.नं. 184/323 में 1.265 है. नहरी रकबा गब्बरसिंह, धर्मपाल पि. रामप्रताप कौम जाट साकिन ठण्डी खातेदार दर्ज है। गब्बरसिंह के द्वारा कृष्णलाल के संबंध में कोई [illegible] किया है जिससें गब्बरसिंह के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र रामप्र[illegible] जाना संभव नहीं है।

4. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

(i) आया वादी कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप के उपनाम गब्बरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खाता में चक 21/23 एन.पी. मुरब्बा नं. 26 में 1.265 है. नहरी कृषि भूमि व वादी उपनाम से मुरब्बा नं. 10 में 1.493 है. नहरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुरब्बा नं. 10 में 1.544 है. नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी है ? —:जिम्मेवादी

(ii) आया कि मुरब्बा नं. 26 व 10 की कृषि भूमि वादी के उपनाम व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से जरिये बैयनामा 15.05.2002 व 16.05.2008 क्रय की गई भूमि में वादी के उपनाम गब्बरसिंह की वजह से वादी व उसका परिवार समाज में उपहास/ परिहास का पात्र बन गयें ? —:जिम्मेवादी

(iii) आया कि वादी ने अपने उपनाम गब्बरसिंह के परिहास/ उपहास से बचने के लिए अपना नाम वर्ष 2008 के पश्चात दस्तावेजों में कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप दर्ज करवाया है पूर्व के दस्तावेजों में वादी का उपनाम गब्बरसिंह उसके परिवार ने अज्ञानतावश दर्ज करवाया था उस समय वादी नाबालिग था ? जिम्मेवादी

(iv) आया वादी अपना नाम मुरब्बा नं. 26 व मुरब्बा नं. 10 की राजस्व जमाबंदीयों में अपने उपनाम गब्बरसिंह पुत्र रामप्रताप के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप दर्ज करवाना चाहता है दोनों ही नाम वादी के है इससें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को हानि नहीं है ? —: जिम्मेवादी

(v) आया वादी अपना उपनाम गब्बरसिंह के स्थान पर कृष्णलाल दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी नहीं है ? —:जिम्मेप्रतिवादी

(vi) अनुतोष।

5. वादी कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट द्वारा दिनांक 27.08.2024 को शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। जिसके अनुक्रम में जमाबंदी मु.नं. 26 प्रदर्श–1 है। मु.नं. 10 प्रदर्श–2 है, जमाबंदी मु.नं. 10, धर्मपाल प्रदर्श–3 है। प्रमाण–पत्र दिनांक दिनांक 26.02.2020 प्रदर्श–4 है, रजिस्ट्री दिनांक 15.05. 2002 प्रदर्श–5 है जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श–5(**A**) है रजिस्ट्री मु.नं. 10 प्रदर्श–6 है जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श–6(**A**) है। मूल निवास प्रदर्श–7 है जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श–7(**A**) है। प्रमाणित प्रति निवार्चन नियमावली प्रदर्श–8 है। निवार्चन नियमावली 2009 प्रदर्श–9 है। 2013 प्रदर्श–10 है। 2018 प्रदर्श–11 है। 2019 प्रदर्श–12 है फोटो प्रति पहचान पत्र कृष्णलाल वाद पत्र संलग्न है। आधार कार्ड कृष्णलाल प्रदर्श–13 है, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श–13 (**A**) है। भामाशाह कार्ड प्रदर्श–14 है जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श–14(**A**) है। असल समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 17.11.2020 मे (**A**) से (**B**) स्थान पर वाद पत्र स्थिरीकरण सूचना का प्रकाशन प्रदर्श–15 है जमाबंदी मु.नं. 10, 26 प्रदर्श–16 है प्रमाणित प्रति इंतकाल रजिस्टर मु.नं. 10 प.नं. 185/321 प्रदर्श–17 है। वारिस प्रमाण पत्र कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप संलग्न वाद पत्र हैं जमाबंदी मु.नं. 43 प्रदर्श–18 है। जमाबंदी मु.नं. 15 प्रदर्श–19 है जमाबंदी मु.नं. 27 व 62 प्रदर्श–20 है। ब्यान शामिल मिसल किए गए।

6. दिनांक 11.05.2022 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 229 आरटीए पेश किया गया। जिससें दिनांक 13.05.2022 को न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं डिग्री दिनांक 21.03.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया।

7. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उपलब्ध मिसल तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का वाद बिन्दुवार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

तनकी संख्या (i) आया वादी कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप के उपनाम गब्बरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खाता में चक 21/23 एन.पी. मुरब्बा नं. 26 में 1.265 है. नहरी कृषि भूमि व वादी उपनाम से मुरब्बा नं. 10 में 1.493 है. नहरी कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुरब्बा नं. 10 में 1.544 है. नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी है ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की प्रतियां दिनांक 15.05.2002 व 16.05.2008 में क्रेता का नाम गब्बरसिंह पुत्र रामप्रताप दर्शाया गया है। यह मूल नाम ही दशार्या है। उपनाम नहीं दर्शाया है। क्रेता के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज हुई हैं। इस तनकी को सिद्व करने में वादी असफल रहा है अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि मुरब्बा नं. 26 व 10 की कृषि भूमि वादी के उपनाम व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से जरिये बैयनामा 15.05.2002 व 16.05.2008 क्रय की गई भूमि में वादी के उपनाम गब्बरसिंह की वजह से वादी व उसका परिवार समाज में उपहास/ परिहास का पात्र बन गयें ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 15.05.2002 व 16.05.2008 में क्रेता का नाम गब्बरसिंह दर्शाया गया है। विक्रय पत्रों में गब्बरसिंह उपनाम नहीं दर्शाया है बल्कि मूल नाम दर्शाया है। विक्रय पत्रों के आधार पर ही जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ है अतः इस तनकी को सिद्व करने में वादी असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि वादी ने अपने उपनाम गब्बरसिंह के परिहास/ उपहास से बचने के लिए अपना नाम वर्ष 2008 के पश्चात दस्तावेजों में कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप दर्ज करवाया है पूर्व के दस्तावेजों में वादी का उपनाम गब्बरसिंह उसके परिवार ने अज्ञानतावश दर्ज करवाया था उस समय वादी नाबालिग था ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण पत्र जो दिनांक 12.06.1997 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर द्वारा जारी किया गया था। उस मूल निवास प्रमाण में नाम गब्बरसिंह ही दर्शाया गया हैं। इस दस्तावेज में नाम अज्ञानता से दर्ज करवाया हो ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। इस तनकी को सिद्व करने में वादी असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (iv) आया कि वादी ने अपने उपनाम गब्बरसिंह के परिहास/ उपहास से बचने के लिए अपना नाम वर्ष 2008 के पश्चात दस्तावेजों में कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप दर्ज करवाया है पूर्व के दस्तावेजों में वादी का उपनाम गब्बरसिंह उसके परिवार ने अज्ञानतावश दर्ज करवाया था उस समय वादी नाबालिग था ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की [illegible] वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार क्रेता का नाम गब्बरसिंह [illegible] के आधार पर जमाबंदियों में नाम गब्बरसिंह आया है [illegible] गब्बरसिंह उप[illegible] नहीं है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हो [illegible] हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस [illegible] को सिद्व करने में वादी असफल रहा है अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

तनकी संख्या **(v)** आया वादी अपना उपनाम गब्बरसिंह के स्थान पर कृष्णलाल दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी नहीं है ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नहीं किया जिससें गब्बरसिंह वादी का उपनाम हो तथा कृष्णलाल वादी का मूल नाम हो। दोनों बैयनामा में वादी का नाम गब्बरसिंह दर्शाया गया है सरकार की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अवगत करवाया है कि कृष्णलाल के संबंध में कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे गब्बरसिंह के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप किया जाना संभव हो। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

(vi) अनुतोष।

तनकी संख्या 1 ता 5 विरूद्व वादी निर्णीत की गई है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत नहीं समझते है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188, 209 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट एवं 151 सीपीपी भली—भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
{सुभाषचन्द्र (आरएएस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
{सुभाषचन्द्र (आरएएस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner